अनुसूची-१४ -फारम सं0 ५६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी-सह-समाहर्ता,सारण,छपरा।

आपूर्ति अपील सं0- 87/2012

अवधेश राम

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
13.08.2015	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा,सारण के ज्ञापांक 2217, दिनांक 24.07.2012 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.01.2012 को जिला स्तरीय जांच दल संख्या 1 जिला परिवहन पदाधिकारी,सारण,छपरा के द्वारा अवधेश राम ,ज0वि0प्र0पि0, अनु सं0-08/2007, पंचायत-चांदकुदरियां, प्रखंड-मशरक की दूकान की जांच की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई- 1. प्रतिलिटर किरासन तेल 19 रूपर्ये देना। 2. बी0पी0एल0 का खाद्यान्न 20 किलों 7.50 रू0 प्रति किलो देना। 3. उपभोक्ताओं का कूपन लेकर रख लेना। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 599/गो0, दिनांक 22.03.2012 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसमें प्रसंग में उसके द्वारा अपना जवाब दिया गया। प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप गलत है। जांच की तिथि को कोई भी जांच दल विक्रेता की दूकान पर गए थे। विक्रेता की दूकान निर्धारित अवधि में खुली हुई थी। यदि जांच दल विक्रेता की दूकान पर गई होते तो विक्रेता की अनुज्ञप्ति संख्या को 08/2007 अंकित नहीं करते, बल्कि दूकान के सूचना पट् पर अंकित शूद्ध अनुज्ञप्ति संख्या 81/2007 अवश्य देखते। ग्रामीण राजनितिक की	

वजह से हो सकता है, कुछ लोगों के द्वारा विक्रेता के विरूद्ध गलत शिकायत कर दी गई हो। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में अनुदानित सामग्री का ससमय उठाव एवं कूपन के आधार पर निगरानी समिति के सदस्यों के समक्ष वितरण किया जाता है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के विरूद्ध उपभोक्ता के द्वारा की गई शिकायत से प्रतीत होता है कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के प्रतिकूल आचरण करके गंभीर अनियमितताएं बरती गई है, जिसके लिए उनका अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाना उचित होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि अपीलार्थी के विरूद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए है। विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत जवाब से उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन नहीं होता है। अपीलार्थी के द्वारा बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के प्रावधनों, अनुज्ञप्ति की शर्तो एवं विभागीय दिशा जिर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में, मैं अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 2217, दिनांक 24.07.2012) में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। अपीलार्थी के द्वारा दाखिल अपील आवेदन दिनांक 14.08.2012 को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

13/8/12

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

ज्ञापांक 2685/........../न्या0, दिनांक 22.8.15/

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा,सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

22/8/15